

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1862/2026

URN: CMA / 3340U / 2026

1. Shrimati W/o Late Shri Satyaveer, Aged About 33 Years, R/o Village Udai Ka Pura (Jalalpur), Police Station Maniya, District Dholpur (Raj.).
2. Bhawana D/o Late Shri Satyaveer, Aged About 14 Years, Minor Through Natural Gaurdian Mother Shrimati W/o Late Shri Satyaveer, R/o Village Udai Ka Pura (Jalalpur), Police Station Maniya, District Dholpur (Raj.).
3. Suhani D/o Late Shri Satyaveer, Aged About 12 Years, Minor Through Natural Guardian Mother Shrimati W/o Late Shri Satyaveer, R/o Village Udai Ka Pura (Jalalpur), Police Station Maniya, District Dholpur (Raj.).
4. Gaurav S/o Late Shri Satyaveer, Aged About 10 Years, Minor Through Natural Guardian Mother Shrimati W/o Late Shri Satyaveer, R/o Village Udai Ka Pura (Jalalpur), Police Station Maniya, District Dholpur (Raj.)
5. Anuj S/o Late Shri Satyaveer, Aged About 7 Years, Minor Through Natural Guardian Mother Shrimati W/o Late Shri Satyaveer, R/o Village Udai Ka Pura (Jalalpur), Police Station Maniya, District Dholpur (Raj.).
6. Yashoda Devi W/o Shri Hotam Singh, Aged About 55 Years, R/o Village Udai Ka Pura (Jalalpur), Police Station Maniya, District Dholpur (Raj.).
7. Hotam Singh S/o Shri Bhuri Singh, Aged About 57 Years, R/o Village Udai Ka Pura (Jalalpur), Police Station Maniya, District Dholpur (Raj.).

----Appellants/Claimants

Versus

1. United India Insurance Company Ltd., Branch Office Dhoolkot Road, Dholpur (Raj.) (Insurance Company Of Truck No. RJ-11-GB-2338).
2. Akeel Khan S/o Late Shri Naseer Khan, R/o Talaiya Kothi, Dholpur, Police Station Kotwali Dholpur, Tehsil And District Dholpur (Raj.) (Owner Of Truck No. RJ-11-GB-2338)

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s) : Mr. Ashvendra Singh Rathore, Adv. for
Mr. Dinesh Kumar Garg, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Rizwan Ahmed Adv. with
Mr. Mohsin, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

06/07/2026

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धौलपुर (राज.) (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-233/2021, श्रीमती व अन्य बनाम यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.12.2025 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में सत्यवीर की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 65,75,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल 16,60,565/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 06 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।
3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 5,850/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि मृतक की आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। वक्त घटना मृतक मोटर वाहन चालक का कार्य कर प्रतिमाह 18,000/- रुपये आय अर्जित करता था, किन्तु विद्वान

अधिकरण द्वारा उक्त तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 08.01.2021 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक को ड्राइवर का कार्य कर प्रतिमाह 18,000/- रुपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर वर्ष 2019 में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 5,850/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है, जबकि मृतक की मासिक आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। घटना वर्ष 2021 की बताई गयी है। श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2020 में दिनांक 01.07.2020 से तथा वर्ष 2021 में 01.07.2021 से न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि की गई है। हस्तगत मामले की घटना दिनांक 08.01.2021 की बताई गई है तथा मृतक को वक्त घटना ड्राइवर होना बताया गया है, किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम, घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर वर्ष 2020 में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के

आधार पर मृतक की दैनिक आय 252/— रुपये, तदनुसार **मासिक आय 252 x 30 = 7,560/— रुपये** निर्धारित किया जाना न्यायोचित समझते हैं। क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 29 वर्ष आयु का होना बताया गया है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा भी मृतक की आयु 29 वर्ष निर्धारित की गई है। चूंकि मृतक 29 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित मासिक आय 7,560/— रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत अर्थात् 3,024/— रुपये की बढ़ोतरी की जाकर मृतक की कुल मासिक आय 10,584/— रुपये निर्धारित की जाती हैं, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. वक्त घटना मृतक पर कुल सात आश्रित बताए गए हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/5 भाग की कटौती की गई है, जो सही है। तदनुसार 10,584/— रुपये का 1/5 भाग 2,117/— रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 8,467/— रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 29 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 17 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार मृतक की निर्धारित आय 8,467/— रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की **कुल क्षति $8,467 \times 12 \times 17 = 17,27,268/—$ रुपये** होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

8. विद्वान अधिकरण द्वारा प्रत्येक अपीलार्थी को 40,000/— रुपये, इस प्रकार कुल 2,80,000/— रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है, जो कम है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर**

उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780 व अन्य न्यायिक दृष्टांत मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहलू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130 के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/— रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

9. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में, अंतिम संस्कार व सम्पदा की हानि के मद में दी जाने वाली निर्धारित राशि में प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी किये जाने का आदेश दिया गया है। इसलिए इस मामले में भी उक्त मदों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जावे।

10. मामले की घटना वर्ष 2021 की बताई गयी है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)**, **सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहलू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए देय निर्धारित राशि पर दस प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या-1 को “स्पाउस कंसोर्टियम” की मद में 44,000/— रुपये, मृतक के बच्चों अपीलार्थी संख्या-2 लगायत 5 को “पैरेण्टल कंसोर्टियम” की मद में प्रत्येक को 44,000/— रुपये तथा मृतक के माता-पिता अपीलार्थी संख्या-6 व 7 प्रत्येक को “फिलियल कंसोर्टियम” की मद में 44,000/— रुपये (कुल 3,08,000/— रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 15,000/— रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 15,000/— रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो कम है। अतः उपरोक्त मदों में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार देय निर्धारित राशि पर दस

प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 16,500—16,500/— रुपये (कुल 33,000/— रुपये) की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा दुर्घटना के पश्चात् मृतक के इलाज पर व्यय की गई राशि के मद में 3,757/— रुपये तथा इलाज के दौरान 17 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 10,200/— रुपये की राशि पृथक से अपीलार्थीगण को दिलवाई गई है। उपरोक्त मदों में दिलवाई गई राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

13. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	17,27,268/—
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 3,08,000/—
3.	अंतिम संस्कार के मद में	16,500/—
4.	सम्पदा की हानि के मद में	16,500/—
5.	इलाज के दौरान व्यय की गई राशि के मद में	3,757/—
6.	17 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	10,200/—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		20,82,225/—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)		16,60,565/—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		4,21,660/—

14. तदनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **16,60,565/— रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **20,82,225/— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

15. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

16. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख, संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।

17. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

18. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ/123-S